



झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण, राँची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी द्वारा आयोजित



MEDIATION "FOR THE NATION 3.0"

संवाद चुनें -
मध्यस्थता अपनाएं

“राष्ट्र” के लिए मध्यस्थता 3.0

(मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC), भारत का सर्वोच्च न्यायालय)

कानूनी जागरूकता,
मजबूत न्याय व्यवस्था

- यह अभियान विभिन्न प्रकार के मामलों पर केंद्रित है, जिनमें :- (I) वैवाहिक मामले (घरेलू हिंसा अधिनियम एवं धारा 498A IPC/85 BNS सहित), (II) मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले, (III) चेक बाउंस मामले, (IV) शमनीय आपराधिक मामले, (V) उपभोक्ता विवाद संबंधी मामले, (VI) ऋण वसूली / सरफेसी (SARFAESI) संबंधी मामले, (VII) निष्पादन कार्यवाही (Execution) संबंधी मामले, (VIII) पंच (Arbitration) मामले, (IX) वाणिज्यिक विवाद संबंधी मामले, (X) सेवा (Service) संबंधी मामले, (XI) विभाजन (Partition) मामले, (XII) बेदखली (Eviction) मामले, (XIII) भूमि अधिग्रहण मामले, (XIV) श्रम अधिनियम संबंधी मामले एवं (XV) अन्य उपयुक्त दीवानी मामले शामिल हैं।
- राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0 अभियान के तहत पात्र मामलों की पहचान एवं सूची न्यायालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक बनाया जायेगा, और इस अवधि में निपटारे की संभावना वाले मामलों को मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूँटी भेजा जाएगा।
- इस अभियान में मध्यस्थता केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूँटी के मध्यस्थताओं द्वारा पक्षकारों की सुविधा के लिये सप्ताह के सातों दिन मध्यस्थता निपटान हेतु प्रयास किये जायेंगे, जो पूरी तरह से ऑफ़लाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूँटी, ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूँटी आमजन से अनुरोध करता है की वे अपने उपयुक्त लंबित मामलों के समाधान एवं निस्तारण हेतु राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0 का लाभ उठावें

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए :

☎ कॉल : 15100

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

(दिनांक: 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसम्बर 2026 तक)

श्री ऋषभ गर्ग

पुलिस अधीक्षक, खूँटी-सह सदस्य,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी

मोहम्मद जावेद हुसैन

उपायुक्त खूँटी-सह उपाध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी

श्री रसिकेश कुमार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - सह-अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी

निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए :

☎ कॉल : 15100

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी, सचिव- 8789697778, E-mail : khuntidlsa@gmail.com